

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर  
पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0 )

वाद सं0 : 512 सन 2020/ऑन लाईन नम्बर:-2020/00893

अनवान :-

1. दयाराम पुत्र वीरवल जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र वीरवल जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
2. रामचन्द्र पुत्र वीरवल जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर
3. हरदत्त पुत्र वीरवल जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर
4. सरवती पुत्री वीरवल जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर
5. सन्तोष पुत्री वीरवल जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर
6. घोला पुत्री वीरवल जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर
7. लिलावती पुत्री वीरवल जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर
8. वीकों पुत्री वीरवल जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर
9. सरवती पुत्री शिशपाल पुत्र वीरवल जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर
10. सुशीला पुत्री शिशपाल पुत्र वीरवल जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
11. जसवन्त पुत्र शिशपाल पुत्र वीरवल जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रामकुमार वैनीवाल अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- / 9/10/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा नहराना के खाता संख्या 51/50 की कुल 13.1500 हैक् में से 1/6 हिस्सा एवं रोही मौजा दुर्जाना के खाता संख्या 79/83 की कुल 14.9990 हैक् में से 1/6 हिस्सा विरवल वादी के पिता के नाम दर्ज है।

वादी के पिता वीरवल का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान उनके पुत्र पुत्रीया वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 हैं एवं वीरवल के एक पुत्र मृतक शिशपाल के जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 है अर्थात् वीरवल के नाम से दर्ज भूमि के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 के हक हिस्सा की भूमि है

प्रतिवादी संख्या 4 ता 10 वादी की वहने हैं एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री एवं मृत पुत्र शिशपाल की पत्नि /पुत्री है प्रतिवादी संख्या 4 ता 10 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,11 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,11 का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तवा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,11 बहिव के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकवाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या

उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

1 ता 11 ने निवेदन किया की वाद भूमि उनके पिता/दादा बीरबल के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है बीरबल के एक पुत्र शिशपाल का भी देहान्त हो चुका है जिसके जायज व कानुनी वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 है जो बीरबल के नाम से दर्ज भूमि पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 10 ने निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पुत्र वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,11 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,11 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,11 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 12 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा नहराना के खाता संख्या 51/50 की कुल 13.1500हैक् में से 1/6 हिस्सा एवं रोही मौजा दुर्जाना के खाता संख्या 79/83 की कुल 14.9990हैक् में से 1/6 हिस्सा बिरबल वादी के पिता के नाम दर्ज है।

वादी के पिता बीरबल का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान उनके पुत्र पुत्रीया वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 है एवं बीरबल के एक पुत्र मृतक शिशपाल के जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 है अर्थात् बीरबल के नाम से दर्ज भूमि के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 के हक हिस्सा की भूमि है।

प्रतिवादी संख्या 4 ता 10 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री एवं मृत पुत्र शिशपाल की पत्नि /पुत्री है प्रतिवादी संख्या 4 ता 10 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,11 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,11 का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात् वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार-काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा नहराना के खाता संख्या 51/50 की कुल 13.1500हैक् में से 1/6 हिस्सा एवं रोही मौजा दुर्जाना के खाता संख्या 79/83 की कुल 14.9990हैक् में से 1/6 हिस्सा बिरबल वादी के पिता के नाम दर्ज है।

प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा बीरबल के नाम से दर्ज थी जिनका देहान्त हो चुका है जिसके जायज व कानुनी वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 है जो बीरबल के नाम से दर्ज भूमि पाने के अधिकारी है अर्थात् वाद भूमि जो बिरबल के नाम से दर्ज के वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 बराबर के हकदार है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 4 ता 10 ने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयो/पुत्र के पक्ष में त्याग किया जा चुका है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 4


उपरोक्त अधिकारी  
लोहर

ता 10 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाईयो / पुत्रों वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एवं 11 के पक्ष में किया जा चुका है वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,11 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल भी पेश किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चरपा होते है के आधार पर वाद वादी सावित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 10 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी सावित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा नहराना के खाता संख्या 51/50 की कुल 13.1500 हैक् में से 1/6 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा दुर्जाना के खाता संख्या 79/83 की कुल 14.9990 हैक् में से 1/6 हिस्सा भूमि में बीरबल पुत्र नन्दाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,11 बहिव के खातेदार कारतकार धोषित किया जात है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे ब्याय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो ।

निर्णय आज दिनांक 19/10/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
नोहर ( हनुमन्निगड )

सत्यमेव जयते

## पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6-7 जाका दिवानी )

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. दयाराम पुत्र वीरबल जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र वीरबल जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
2. रामचन्द्र पुत्र वीरबल जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर
3. हरदत्त पुत्र वीरबल जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर
4. सरबती पुत्री वीरबल जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर
5. सन्तोष पुत्री वीरबल जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर
6. धोला पुत्री वीरबल जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर
7. लिलावती पुत्री वीरबल जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर
8. बीकों पुत्री वीरबल जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर
9. सरबती पुत्री शिशपाल पुत्र वीरबल जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर
10. सुशीला पुत्री शिशपाल पुत्र वीरबल जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
11. जसवन्त पुत्र शिशपाल पुत्र वीरबल जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।


प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 512 सन 2020 निर्णय दिनांक- 19/10/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेशेकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा नहराना के खाता संख्या 51/50 की कुल 13.1500 हैक्टेयर में से 1/6 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा दुर्जाना के खाता संख्या 79/83 की कुल 14.9990 हैक्टेयर में से 1/6 हिस्सा भूमि में वीरबल पुत्र नन्दराम का नाम कलमजमन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3, 11 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जात है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 19/10/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
नोहर ( हनुमानगढ )